संख्या-7/2018/3876/14-1-2017-300(137)/89

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी, सामूहिक बीमा निदेशालय,
विकास दीप भवन (छठा तल),
22-स्टेशन रोड, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 19 जनवरी, 2018

विषय:- श्री दिवाकर कुमार भा0व0से0 (से0नि0) के केन्द्रीय समूह बीमा योजना के अंतर्गत दावे के भुगतान के संबंध मे।

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या:- ई0शा0 683/1-911, दिनांक 28.12.2017(मूल रूप में संलग्नकों सहित संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- श्री दिवाकर कुमार, भा0व0से0 (से0नि0), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0 उ0प्र0 लखनऊ के केन्द्रीय सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत दावे के भुगतान के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रपत्र 03 प्रतियों में (01 प्रति प्राप्ति रसीदी टिकट सहित), बैंक का विवरण तथा अन्य अभिलेख आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया श्री दिवाकर कुमार, भा0व0से0 (से0नि0) के दावे का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय

(ओम प्रकाश)
विशेष सचिव।

संख्या-7/2018/3876(1)/14-1-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
2- वित्त नियंत्रक कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
3- श्री दिवाकर कुमार, भा0व0से0, (से0नि0), 2/8, विजयंत खण्ड गोमतीनगर, नियर मिनि स्टेडियम, लखनऊ-226010
4- कम्प्यूटर सहायक को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in